



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61269-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विशेष अपील संख्या - 155/2026

प्रबंध समिति एवं अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता: आर.के. ओझा (वरिष्ठ अधिवक्ता) साथ में राजेश कुमार सिंह, शिवेंद्र ओझा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., अशोक खरे (वरिष्ठ अधिवक्ता), पाराशर पाण्डेय, हिमाशु सिंह

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, जिन्हें श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा सहायता प्रदान की गई, राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 4 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिन्हें श्री पाराशर पाण्डेय द्वारा सहायता प्रदान की गई, को सुना गया।
2. यह अपील दिनांक 16.01.2026 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट-सी संख्या 1107/2026 को खारिज कर दिया है।
3. रिट याचिका दिनांक 06.12.2025 और 28.12.2025 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जो दानो हो डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, आगरा क्षेत्र, आगरा द्वारा पारित किए गए थे। दिनांक 06.12.2025 के आदेश द्वारा, वर्ष 2017-18 के लिए सोसाइटी के 45 सदस्यों की एक सूची को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ('अधिनियम') की धारा 4 के तहत एक निष्क्रिय/समय-बाधित समिति/सोसाइटी के चुनाव कराने के लिए पंजीकृत किया गया था, जिसमें आगे यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। दिनांक 28.12.2025 के आदेश द्वारा, निजी प्रत्यर्थी की समिति को 'निर्विरोध' निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि रिट याचिका में दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल एक आदेश, अर्थात् दिनांक 06.12.2025 के आदेश पर विचार किया है और यह दर्ज करने के बाद कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने निर्वाचक मंडल घोषित करने में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं की है, रिट याचिका को दूसरे आक्षेपित आदेश के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. यह आगे तर्क दिया गया कि दिनांक 06.12.2025 के आदेश में, डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया था कि समय-समय पर नामांकित सदस्य पंजीकृत उपनियमों में निहित शर्तों के प्रतिकूल क्यों थे और इसलिए, प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थापित चुनाव का आधार ही अमान्य था। यह आगे तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि उपनियमों के अनुसार सदस्यता शुल्क 101/- रुपये दर्शाया गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत सूचियों में सदस्यों द्वारा 11,000/- रुपये और 501/- रुपये जमा करने के संकेत दिए गए थे, न्यूनतम सदस्यता राशि से अधिक की इन राशियों को वैध रूप से नामांकित सदस्यों की सूचियों को खारिज करने का आधार नहीं माना जा सकता था।
6. यह आगे तर्क दिया गया कि यद्यपि डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह देखा है कि सदस्यों के नामांकन के संबंध में उपनियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, परंतु यह देखने के बाद कि सदस्य कब और किस तिथि को नामांकित किए गए थे और किस पदाधिकारी द्वारा किए गए थे, यह स्पष्ट न होने पर, 45 सदस्यों की एक सूची जो 7-8 साल पहले 2017-18 में जारी की गई थी, उसे वैध मान लिया गया है, जो निर्धारण वैध रूप से नामांकित सदस्यों और उनकी स्थिति की अज्ञानता में होने के कारण, रिट याचिका में आक्षेपित दिनांक 06.12.2025 का आदेश रद्द किए जाने योग्य था।
7. यह आगे तर्क दिया गया कि विभिन्न वर्षों से संबंधित आय और व्यय के विवरणों में, सदस्यता शुल्क और अन्य राशियों का उचित जमा परिलक्षित होता है और चूंकि वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत परीक्षित हैं, इसलिए सदस्यों के नामांकन या शुल्क जमा करने पर संदेह करना बिना किसी आधार के है।
8. इसके विपरीत, श्री खरे ने तर्क दिया कि एक बार जब अपीलार्थीगण डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष वर्ष 2016 से 2019 तक सदस्यों के नामांकन की शुचिता स्थापित करने में विफल रहे थे, तो डिप्टी रजिस्ट्रार 45 सदस्यों की सूची को स्वीकार करने में पूरी तरह से उचित थे, जिसके आधार पर 2017-18 के अंतिम चुनाव संपन्न हुए थे। यह आगे तर्क दिया गया कि वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 से संबंधित सूचियों पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विवाद 2017 और 2019 के बीच की अवधि के दौरान सदस्यों के नामांकन के संबंध में है और इसलिए, अपीलार्थीगण बाद के वर्षों की सूचियों का कोई लाभ नहीं उठा सकते, विशेष रूप से तब जब उनका मूल ही संदिग्ध है।
9. आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा भरोसा किए गए वित्तीय विवरण वर्ष 2022-23 और 2024-25 से संबंधित हैं जिनका कोई महत्व नहीं है और अपीलार्थीगण का यह तर्क कि सदस्यता शुल्क आईसीआईसीआई बैंक, काकादेव शाखा, कानपुर के बैंक खाता संख्या 413305000609 में जमा किया गया था, जैसा कि रिट याचिका के पैरा-24 में तर्क दिया गया है, उक्त बैंक के खाता विवरण से पुष्ट नहीं होता है, जिसे श्री खरे द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
10. यह भी तर्क दिया गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 06.12.2025 के आदेश में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि नए सदस्य प्रबंधकीय विवाद के अस्तित्व के दौरान नामांकित किए गए थे और इस कारण से भी, अपीलार्थीगण द्वारा भरोसा की गई सदस्यता के साथ कोई शुचिता नहीं जोड़ी जा सकती। श्री खरे ने उपनियमों के संदर्भ में आगे तर्क दिया कि उसमें सदस्यों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की तीन अलग-अलग श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, अर्थात्, संस्थापक सदस्य, साधारण सदस्य और विशिष्ट सदस्य और उक्त विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उपनियमों में दिए गए संकेतों का मामले में महत्व है और जब अपीलार्थीगण के तर्कों को उक्त वर्गीकरण के आधार पर परखा जाता है, तो गंभीर विसंगतियां प्रकाश में आती हैं।

11. प्रत्युत्तर में श्री ओझा ने तर्क दिया कि दिनांक 13.03.2019 को एक धर्मपाल सिंह द्वारा प्रबंधक/सचिव के पद से इस्तीफा देने के कारण, अपीलार्थी संख्या 2, अर्थात् धर्मवीर सिंह प्रबंधक/सचिव बन गए और इसलिए, नाम मात्र का भी कोई प्रबंधकीय विवाद नहीं था जिसे नए सदस्यों के नामांकन में बाधा माना जा सके।
12. हमने दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
13. जब मामले को पिछली तिथि पर सुना गया था, तो न्यायालय ने सदस्यों की विभिन्न सूचियों को पढ़ने के बाद, उस क्रम के संबंध में प्रथम दृष्टया संदेह व्यक्त किया था जिसमें सदस्यता शुल्क जमा करने से संबंधित रसीद संख्याएं दर्शायी गई थीं। अपीलार्थीगण को इसे सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को केवल स्थगित कर दिया गया था।
14. न्यायालय द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के आधार पर, अपीलार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आज विभिन्न रसीदों की मूल प्रतिपण प्रस्तुत की, जिसके द्वारा समय-समय पर पदाधिकारियों या सदस्यों से संबंधित सदस्यता शुल्क स्थापित करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न पुस्तिकाओं में शामिल उक्त प्रतिपणों के परीक्षण के दौरान, न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि यद्यपि सदस्यता शुल्क 101/- रुपये था, परंतु 501/-, 11,000/-, 50,000/- रुपये और एक अवसर पर 20,00,000/- रुपये की राशियाँ जमा की गई थीं।
15. पूछे जाने पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि सदस्यता शुल्क 101/- रुपये दर्शाया गया था, सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा उनकी पसंद के अनुसार इससे ऊपर जमा की गई राशियों को नामांकन में दोष नहीं माना जाना चाहिए और सदस्यता शुल्क के अलावा, अन्य दान आदि के संबंध में रसीदें जारी की जाती थीं, और ऐसी सभी राशियाँ ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों में विधिवत दर्शायी गई हैं।
16. डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिनांक 06.12.2025 के आदेश में उल्लेख किया है कि सदस्यता शुल्क 101/- रुपये था, हालांकि, क्रम संख्या 1 से 7 पर दर्शाए गए सदस्यों के संबंध में 11,000/- रुपये और क्रम संख्या 8 से 31 तक, 501/- रुपये की राशियाँ जमा की गई थीं और कुछ सदस्यों ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह देखने के बाद कि सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया पंजीकृत उपनियमों में निर्धारित है, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि सदस्यों को नामांकित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है।
17. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते समय, यद्यपि डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर ध्यान दिया, परंतु आदेश में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि अपीलार्थीगण द्वारा किस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश सीधे इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि अनुलग्नक-15 और 16 का अवलोकन किसी भी तरह से यह प्रदर्शित नहीं करता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता की है। इसके

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पश्चात, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के दो निर्णयों के आधार पर यह टिप्पणी करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 25(2) के तहत कार्यवाही करते समय, डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रासंगिक रूप से एक संक्षिप्त तरीके से निर्वाचक मंडल का निर्धारण करना होता है; उन्हें सदस्यता आदि के संबंध में गहराई में जाने या साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे सोसाइटी की सदस्यता के दावे के गुणों पर जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

18. हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ उचित रूप से व्यवहार नहीं किया है और सदस्यता के पहलू को सत्यापित करने के संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार की शक्ति के बारे में टिप्पणियां की हैं। अधिनियम की धारा 4(1) और 4-बी के प्रावधानों के तहत शक्ति उपलब्ध होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए विपरीत निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता।
19. किसी भी स्थिति में, कार्यवाहियों के अभिलेख और दिए गए तर्कों के आधार पर, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थागण से प्रतिक्रिया आमंत्रित किए बिना रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करना उचित नहीं था क्योंकि इसके लिए प्रत्यर्थागण से प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी और तब मामले का निर्णय किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, दूसरे आक्षेपित आदेश, अर्थात् दिनांक 28.12.2025, जिसके परिणामस्वरूप होने वाले चुनावों के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, जो प्रत्यर्थागण के पक्ष में 'निर्विरोध चुनाव' की घोषणा दर्शाता है। इस कारण से भी, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।
20. तदनुसार, विशेष अपील स्वीकार की जाती है।
21. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.01.2026 का आदेश एतद्वारा रद्द किया जाता है।
22. रिट-सी संख्या 1107/2026 को रिट न्यायालय के अभिलेख पर बहाल किया जाता है और इसे दिनांक **09.04.2026** को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।
23. रिट न्यायालय ऊपर दी गई टिप्पणियों के आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

ए.के.शुक्ला/-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"